न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 93/2015 दायरा दिनांक : 18.09.2015

उनवान

1— भग्गूबाई पत्नी चतरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

2— बगतबाई पत्नी गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

3— चतरसिंह आत्मज गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

4— शिवसिंह आत्मज गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— धनरूपमल आत्मज शैतानमल, जाति जैन, निवासी नाई मोहल्ला जैन मेडिकल स्टोर डग

2— मोहनबाई बेवा रमेशचन्द पत्नी (दूसरा विवाह) सोहनलाल नाहर, जाति जैन, निवासी 40—बी गंगा कालोनी, धार रोड़ इन्दौर (म0 प्र)

3— नेपाल सिंह आत्मज नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

4— गोरधानसिंह आत्मज नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

5— भारतसिंह आत्मज नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

6— थानाबाई पुत्री नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

7— नोजानबाई पुत्री नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

8— गुड्डीबाई पुत्री नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

9— कांग्रेसबाई पुत्री नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

10— मानकुंवर बाई बेवा नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

11— शंकरसिंह आत्मज अनारसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

12— उमरावसिंह आत्मज अनारसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

13— कालूसिंह आत्मज अनारसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

14— गोविन्दसिंह आत्मज अनारसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

15— शिवसिंह आत्मज हरीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पतलाई, तहसील गंगाधार, जिला झालावाड

16— श्रीमान तहसीलदार, तहसील गंगधार

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हुकमचन्द कुमावत अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री धीरज सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 262/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पतलाई, तहसील गंगधार में आराजी खसरा नम्बर 484 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 485 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 486 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, कुल 7 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 254 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 255 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 483 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 6 बीघा 4 बिस्वा और खसरा नम्बर 481 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 12 बिस्वा स्थित है । इस आराजी में वादी के भाई रमेश चन्द का 1/2 हिस्सा था । रमेश चन्द का विवाह प्रतिवादी नम्बर 1 से हुआ था । विवाह के एक माह बाद ही रमेश चन्द की मृत्यु हो गयी और इसके उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 1 ने दूसरा विवाह सन् 1973 में कर लिया और विगत 37 वर्षों से इन्दौर निवास कर रही है इस कारण मोहन बाई का अपने पूर्व पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है । उनकी कानूनी वारिस माता सुन्दर बाई व बेवा प्रतिवादी नम्बर 1 मौजूद थी लेकिन कर्मचारियों ने रमेश का फोती इंतकाल उनकी बेवा के नाम तस्दीक किया जबकि माता भी मौजूद थी । रमेश

के हिस्से में 1/2 हिस्सा उनकी माता सुन्दरबाई का निहित है । सुन्दरबाई का देहान्त सन् 2000 में हुआ है । सुन्दरबाई के वारिस उनके पुत्र और मृतक रमेश चन्द्र की बेवा प्रतिवादी नम्बर 1 है परन्तु चूंकि प्रतिवादी नम्बर 1 ने सन् 1973 में ही पुर्नविवाह कर लिया है इसलिए सुन्दर बाई का 1/2 हिस्सा वादी को प्राप्त होगा । प्रतिवादी नम्बर 1 ने खाते में नाम होने का फायदा उठाकर आराजी का विक्रय कर दिया है, जो अवैध है । वादग्रस्त आराजी परें कब्जा वादी का है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाये और इस सीमा तक विक्रय पत्र को निष्प्रभावी किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में दिनांक 30.06.2015 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि दिनांक 11.09.2013 को अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलांट ने मोहनबाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय की है । 5 वर्ष तक बिना दावे को दर्ज कर चलाया गया । अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर वकील साहब से सम्पर्क कर नकल प्राप्त की गई । नकल दिनांक 21.08.2015 को प्राप्त हुई । अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट सद्भावी क्रेता है । सुनवाई का अवसर दिये बिना दावा डिक्री किया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी । इसके उपरांत विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है । अपील अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और दिनांक 30.06.2015 को इसके राजस्व लोक अदालत में रखा गया है जिसमें सिर्फ वादी उपस्थित हुए हैं और उसी दिन दावा वादी डिक्री किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.04.2014 के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 व 18 के वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना बताया गया है और उसी दिन इन प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है जबकि ऐसी स्थिति में इन प्रतिवादीगण को

न्यायालय की ओर से नोटिस जाना आवश्यक था । दिनांक 30.06. 2015 को लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.03.2018 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा